

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये० ३क(२) / अराज० / ५२८

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१९ में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८ / उ०अ०स०च०आ० / २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / परीक्षा / २८३ / २०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने / सम्बन्धित की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति खत्त: निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम / दावा मान्य नहीं होगा।

१० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा विषय-गणित-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	श्रेणी / उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५		७	८	९	१०
१	कृपाल सिंह नेगी	अमर सिंह नेगी	पहल रोड होली ऐंजिल पालिक रकूल के पास खत्याड़ी अल्मोड़ा	सामान्य	२१.१२.१९८०	अल्मोड़ा	बी०एस०सी० बी०एड०	४८.७५	रा०उ०मा०वि० खौड़ी अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लैलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमसं. पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-गणित) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
(छ)- निश्कृता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद..... विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न सम्पादित शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रखयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संरक्षा द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अभ्यर्थी की जांच करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित
संस्थाध्यक्ष

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० / ५२१

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०स०च०आ० / 2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / परीक्षा / 283 / 2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई कलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	अनिता कुमारी रावत	एच०एस० रावत	ग्राम देहली फार्म पोस्ट पी०एस० सत्य नारायण श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून	सामान्य	24.03.1982	देहरादून	एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०एड०	48.25	रा०इ०का० गंगानगर मौतियापाथर अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृष्ठ से 30 / सेवाएं-3क(2) / अराजो / 7967-77

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/बलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(ङ) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
(च) अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
(छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु... पद..... विषय..... को दिनांक..... के पूवान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विद्याराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सभी सम्बन्धित दस्तावेज नैनीताल नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५३०

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०३०से०च०३०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	मदन मोहन जोशी	गोपाल दत्त जोशी	गरुण धैना सिलिंगवाड़ी गरुण बागेश्वर	सामान्य	14.01.1983	बागेश्वर	बी०एस०सी० बी०एड०	48.00	रा०इ०का० खाती बागेश्वर औपबन्धिक

(लोकाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमसंख्या: पृष्ठ 02.....

- पृष्ठों / सेवाएं-3क(2) / अराजो / 79 85 - 95
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
01- संविध विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- संचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन०सी०ई०आ०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के संक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोस्ताक्षरकर्त्रों के कार्यालय में प्रस्तुत करेगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से भिन्न कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साझज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संरक्षा द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/संघ या सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करुंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें ३क(2)/अराज0/

531

/2023-24 दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ0अ0स0च0आ0/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी०-रनातक वैतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स- 44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के समुख रतम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई कलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनूप सिंह रावत	राजेन्द्र सिंह रावत	ग्राम-फलई, पो०-अगरतलामुनि, ता०-बसुकेदार जिला-रुद्रप्रयाग	सामान्य	01.07.1983	रुद्रप्रयाग	बी०एस०सी० एम०पी० एड०	74.25	रा०इ०का० लीती बागेश्वर औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05- सम्बन्धित-मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में बिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/वलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समर्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समर्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समर्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रखते ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (वो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारश्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपाधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....राहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन कर्त्तव्य/कर्त्तव्यी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर्त्तव्य/कर्त्तव्यी।
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीश) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० / ५३२

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पवन सिंह बिष्ट	जगदीश सिंह बिष्ट	मकान नं०-२० २२ सारी, (गौचर) ब्लाक अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग	सामान्य	०५.०६.१९८९	रुद्रप्रयाग	बी०पी०इ० बी०पी०ए८०	74.25	रा०इ०का० डोर पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)
१३/९/२०२३
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— मुहानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकान्तरों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०ठी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रालूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समरत बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दरतावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०..... पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

60—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्दतः ही नियरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के सार्थ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, पुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त रसारथ्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विरोधता/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों

द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

विद्यालय.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये ३क(२) / अराज० / ५३३

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०३०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अरथाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	ज्योति वर्मा	जीवन लाल वर्मा	पत्नी श्री सचिन वर्मा मल्ली बाजार चम्पावत २६२५२३	ओ०बी०सी०-महिला २०१८६/२४.०७.२०२३	२०.५.१९८२	चम्पावत	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०पी०ए८०	६७.५०	रा०इ०का० सिंगाली पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(लीलापुर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ ०२.....

पूर्णसं/ सेवाएँ-3क(2)/ अराजो/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 - 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 - 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 - 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 - 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
 - (क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 - (ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/ प्रशिक्षण अर्हता एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 - (ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/ असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/ क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
 - (घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
 - (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
 - (2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)
 - (इ) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/ स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
 - (च) अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
 - (छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/ सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....

पद.....

विद्यालय.....

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिच्छुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी श्री/ श्रीमती/ कु०..... पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/ अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रवतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/ अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/ पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/ राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/ अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/ विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करना/ करनी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना/ करनी एवं संस्थाध्यक्ष.....
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५३४


/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०से०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	ज्योति	लक्ष्मण सिंह	वार्ड नम्बर-३ टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर उधमसिंहनगर	अनु०ज्योति -महिला ४००४७०-६. २.२०१४ बाजपुर उ०सि०न०	१२.१.१९८६	उधम सिंह नगर	एम०ए० शिक्षा शास्त्र- बी०पी०ए८०	५२.७५	रा०इ०का० असौं बागेश्वर औपबन्धिक

(लीलाधार व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठ ३० / सेवा ए-३क(२) / अराज ० / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०४- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९- सम्बन्धित संरथाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में मिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(१)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(२)- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)

(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधीक्षक अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....

.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

१०- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विक्रित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, सघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी। प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये ३क(२) / अराज० / ५३५


/ 2023–24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 में निहित प्राविधिनों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या–२८ / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३ / २०२३–२४ दिनांक १०–०८–२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०–स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००–३४८०० ग्रेड वेतन–४६००) नया वेतन मैट्रिक्स– ४४९००–१४२४००, लेबल–७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय–गणित–(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सुरेश चमोली	राधाकृष्ण चमोली	अपर नथ्यनपुर पोस्ट नहरुग्राम ज्यालपा मंदिर के पास देहरादून	सामान्य	१८.१०.१९८५	रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी० बी०ए८०	६१.७५	रा०इ०का० तामली चम्पावत

(लीलाघर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये ३क(२) / अराज० / ५३५


/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिनों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८ / उ०३०से०च०३०० / २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सुरेश चमोली	राधाकृष्ण चमोली	अपर नथ्यनपुर पोस्ट नहरुग्राम ज्यालपा मंदिर के पास देहरादून	सामान्य	१८.१०.१९८५	रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी० बी०एड०	६१.७५	रा०इ०का० तामली चम्पावत

(लीलाघर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 - 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 - 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 - 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 - 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई बाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-गणित) हेतु नियमानुसार कर ली जाय-
- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अध्ययन भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हैं।
 - (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-गणित के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/रस्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की रिथ्ति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्तों के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.

विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चारित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चारित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन कर्त्ता/कर्त्री एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर्त्ता/कर्त्री।
प्रतिहस्ताक्षरित
संस्थाध्यक्ष
घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन कर्त्ता/कर्त्री एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विद्यालय

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/

536

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन भैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवेक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कमल सिंह	नारायण सिंह	ग्राम जैचोली भंडारीगाँव सोमेश्वर अल्मोड़ा	दिव्यांग-18 6/26.8. 2015 मु०विं०आ० अल्मोड़ा	22.3.1979	अल्मोड़ा	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०पी०ए८०	46.25	रा०इ०का० आरासल्पड़ अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लीनाधर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृष्ठां/सेवाएँ-3क(2)/भराजो/ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संरथाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स००३०एल०टी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय।

(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र


मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समरत बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समरत दरतावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही नियस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संरथाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साझज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों प्रति हस्ताक्षरित.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५३७

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०३००८०८०३००/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	गायत्री भट्ट	राम गोपाल पैन्यूली	द्वारा-भट्ट भवन अनुसंधान कालोनी कनरेन पोर्ट जोशियाड़ा भटवाड़ी उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ा वर्ग-१७५७३ /२०.९. २०१८ भटवाड़ी उत्तरकाशी	१७.१०.१९८४	उत्तरकाशी	एम०ए० हिंदी- बी०ए८०	६६.५०	रा०इ०का० छत्यानी बागेश्वर औपबन्धिक

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्दह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/बलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंसोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-)

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)—एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टर्ग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-वाणिज्य के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ड)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सधम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यालयी सम्पादित कर ली है एवं समस्त वाइट दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/साज्ज संस्कृत सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....कुमाऊँ मण्डल नैनीताल.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सभी सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। प्रतिहस्ताक्षरित.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० / ५३४

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०सो०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-गणित-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्रान्तु सिंह	वीरेन्द्र सिंह	मकान नम्बर-१२ निकट प्राइमरी स्कूल देवीपुरा जसपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	२६.०५.१९८६	उधम सिंह नगर	बी०एस०सी० बी०एड०	६१.२५	रा०इ०का० तामानौली पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल


क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठा 0 / सेवाएं-3क(2) / अराजो / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (सा०अ०एल०टी०-गणित) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(2) अभ्यर्थी को सा०अ०एल०टी०-गणित के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- (द) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
 - (घ) अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
 - (छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

- | प्रमाण पत्र | पद | विद्यालय | एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय..... को दिनांक..... के पूवान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है। |
|-------------|----|----------|--|
| | | | ह०-संस्थाध्यक्ष..... |
| | | | पूरा नाम..... |
| | | | पद एवं सील..... |
- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द होती है औ नियुक्ति रद्द के भीतर अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रखयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शापथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्षण्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
 - 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

- | | | |
|---|---|----------|
| मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय..... | पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय..... | एतद्वारा |
| घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सभी सम्बन्धियों हरस्ताक्षर..... | प्रतिहस्ताक्षर..... | |
| प्रतिहस्ताक्षरित..... | नाम..... | |
| संस्थाध्यक्ष..... | पदनाम..... | |
| | विद्यालय..... | |

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें ३क(2)/अराज0/ ५३१


/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ0अ0सै0च0आ0/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वैतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स- 44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के समुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भावना जोशी	एल0टी0 जोशी	भदेलबाड़ा टनकपुर रोड एंचोली पिथौरागढ़	सामान्य	02.02.1989	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 रसायन विज्ञान बी0एड0	60.75	रा0इ0का0 द्यारतोली चम्पावत औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०४- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय-

(१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/यू०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

१०- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के समुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रखयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चारित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चारित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतदद्वारा

घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५४०

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञाप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-र्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन भैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्ता समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सोनिया बिष्ट	आनन्द सिंह बिष्ट	ग्राम देवराडी बोरा पोस्ट गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़	सामान्य	01.07.1990	पिथौरागढ़	एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०एड०	60.50	रा०इ०का० पुमाऊँ अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लैम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(अभ्यर्थी को स०३०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

- | |
|--|
| मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु...पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है। |
|--|

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रखये के दो पासपोर्ट साझज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

- | |
|--|
| मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने आवश्यक कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। |
|--|
- प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....
पदानुमान.....
पदानुमान.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५४१

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में संचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
१	प्रेमा डसीला	कुन्दन सिंह डसीला	ग्राम फरसाली कपकोट बागेश्वर	सामान्य	१५.०१.१९९३	बागेश्वर	एम०एस०सी० रसायन विज्ञान बी०इ०	६०.५०	रा०इ०का० नाचती कपकोट बागेश्वर

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क) अध्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख) अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग) अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अध्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अध्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अध्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/वलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ) अध्यर्थी की शैक्षिक अहता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकारों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अध्यवा

(1) एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अध्यर्थी को स०३०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ) जाति प्रमाण पत्र अध्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अध्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च) अध्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....

पद.....

विद्यालय.....

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अध्यर्थी/अध्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.

पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अध्यर्थी/अध्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अध्यर्थी/अध्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर.....
प्रतिवर्षीय.....
संस्थाध्यक्ष.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० / ५४२

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३०-३४८० ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स- 44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई वलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मंजू	प्रवीन सिंह	ग्राम व पोस्ट कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर	सामान्य	18.6.1987	बागेश्वर	बी०ए० बी०ए८०	69.00	रा०उ०मा०वि० गोगिना बागेश्वर

(लीलाघर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अध्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)— अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)— अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अध्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अध्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अध्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)— अध्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ स्नातक की हो। यदि किसी अध्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टर्मीटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अध्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(अध्यर्थी को स०आ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (इ)— जाति प्रमाण पत्र अध्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अध्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)— अध्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्रों के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अध्यर्थी/अध्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अध्यर्थी/अध्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रख्य के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०ई०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अध्यर्थी/अध्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अमर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

- मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये० ३क(२)/अराज०/ ५४३

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१९ में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उअ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किरणी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	निर्मल सिंह भण्डारी	भूपेन्द्र सिंह भण्डारी	ग्राम बीरों देवाल तहसील बसुकेदार जिला रुद्रप्रयाग	सामान्य	१९.६.१९९०	रुद्रप्रयाग	एम०ए० हिंदी बी०ए८०	६८.२५	रा०इ०का० सलानी बागेश्वर

(लीलाधर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद / क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंसोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एलटी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एलटी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अधवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (अभ्यर्थी को स०आ०एलटी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२ / य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ड)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु० पद विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०ई०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यगाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा / करूँगी। प्रतिहस्ताक्षरित नाम पदनाम विद्यालय हस्ताक्षर नाम पदनाम विद्यालय

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५४४

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०३०१०से०च०३०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न ईक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	इन्द्रा देउपा	रतन सिंह	ग्राम सितोली पोर्स्ट डीडीहाट जिला पिथौरागढ़	सामान्य- महिला	२५.०६.१९९०	पिथौरागढ़	एम०६० हिंदी बी०ए८०	६८.२५	रा०इ०का० लेगधार पिथौरागढ़ औपबन्धिक


 (लीलाधर व्यास)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 - 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 - 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
 - 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 - 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 - 09- सम्बन्धित संरथाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/ब्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (सा०आ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
- (१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
- (२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (१)-एन०सी०ई०आर०टी० के सेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्डिग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
- (अभ्यर्थी को सा०आ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्बन्धित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

१०- ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त रचारस्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, सघ/साज्व सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०ई०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यालयी की जायेगी। (पंजीकृत)
- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरान्त स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

प्रतिहस्ताक्षरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये ३क(२) / अराज० / ५४५

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283 / 2023-24 दिनांक 10-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मोहित भण्डारी	हीरा सिंह भण्डारी	521 / १ रानी पोखरी ग्राम दोनाली ऋषिकेश देहरादून	सामान्य	25.8.1991	पौड़ी गढ़वाल	एम०ए० हिंदी बी०ए०	68.25	रा०इ०का० गलाती पिथौरागढ़

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव-विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निररत कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई बाद/क्लैम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित)) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (सशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एलटी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एलटी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (अभ्यर्थी को स०३०एलटी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की रिथ्ति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अद्योहस्ताकरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय रतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.

विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्राधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/साज्ज सरकार की सेवा से पदचय न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा

घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों

द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
संस्थाध्यक्ष

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विद्यालय

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/ सेवायें ३क(२)/ अराज०/ ५४६

/ 2023-24 दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन नैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख रतम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोविन्द सिंह धामी	नारायण सिंह धामी	मकान नम्बर-100 धामी भवन जी०आ०इ०सी० रोड सरसवती विहार कालोनी पिथौरागढ़	सामान्य 13.7.1982	पिथौरागढ़	एम०ए० हिंदी बी०ए८०	68.00	रा०उ०मा०वि० नैनीपातल पिथौरागढ़ औपबन्धिक	

(लीलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संसोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०ए०ल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०ए०ड० की उपाधि।

अध्यात्म

(1)-एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(अभ्यर्थी को स०३०ए०ल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ड)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताकरक्ती के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....

विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जाह्नवी शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने सम्बन्धियों

द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों

हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

.....पदनाम.....विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/ सेवायें ३क(२)/ अराज०/ ५४७

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लैबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	रवेन्द्र प्रसाद	सोहन लाल	ऋषिराम शिक्षण संस्थान जोशियाड़ा उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ा वर्ग-३४८३७ /११.११.२०२० उत्तरकाशी	१७.८.१९८७	उत्तरकाशी	एम०ए०- संरकृत/ हिंदी बी०ए३०	६६.७५	रा०इ०का० थलामनराल अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लोलाघर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमसंख्या: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०४- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निररत कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संसोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

(१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टरग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की रिथ्ति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्रों के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समरत बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समरत कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समरत वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समरत दरतावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.....

विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

१०- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रवतः ही निररत समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समरत शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शापथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारथ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अमर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/ सेवायें ३क(२)/ अराज०/ ५४८

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०३००८०८०३०३०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वैतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वैतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवेक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वैतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कमलेश सिंह राठौर	मादो सिंह राठौर	ट्रेजरी लाइन बेरीनाग पिथौरागढ़	सामान्य	01.7.1994	बागेश्वर	बी०ए०- बी०ए८०	66.75	रा०इ०का० देवतोली बागेश्वर

(लोलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृष्ठों / सेवाएँ-३क(2) / अराजो / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संरक्षण अधीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद / कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एलटी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(१) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(२) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(१)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(अभ्यर्थी को स०अ०एलटी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२ / यू०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

- (इ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्कृत विषय.....पूरा नाम.....पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समर्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रद्द के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विद्याराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीसहायक अध्यापकविद्यालयकुमाऊँ मण्डल नैनीतालएतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन / विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा / करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर नीति का पालन करूँगा / करूँगी।
प्रतिहस्ताक्षरित
संस्कृत विषय.....पद.....विद्यालय.....पदनाम.....विद्यालय.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/ सेवायें ३क(२)/ अराज०/ ५४९

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अध्या उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	गौरव कुमार पन्त	दिनेश चन्द्र पन्त	ग्राम कालासीला पीपली जाबुका पिथौरागढ़	ई०डब्लू०ए स०-१८४ दिनांक २८.१०.२०२० बेरीनाग पिथौरागढ़	०१.०८.१९९०	पिथौरागढ़	बी०ए० बी०ए८०	६६.५०	रा०इ०का० थल पिथौरागढ़

(लीक्रांधर व्यास)
१३१९२३
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशीक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की ईक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ईक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की ईक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(अभ्यर्थी को स०३०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अवश्यक है।
उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त रामस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु० पद विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त ईक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारूप्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/सञ्चय सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपाधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०ई०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के ईक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जान पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय कुमाऊँ मण्डल नैनीताल एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हरताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५५६

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वैतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वैतन-४६००) नया वैतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवेक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वैतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लोम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
१	शोभा	गोपाल राम	ग्राम गडेरा तहसील कपकोट जिला बागेश्वर	अनु०जाति महिला १३२५/२० ०४ ०६.९. २००४ कपकोट बागेश्वर	१६.५.१९८४	बागेश्वर	बी०ए० बी०ए४०	६१.२५	रा०उ०मा०वि० बैसानी बागेश्वर

(लीलाधर व्यास)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निररत कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंसोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टर्ग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/यूटी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की रिधि में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निररत समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न राग्रत्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५५१

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यार्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यार्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सतपीर सिंह	फूल सिंह	महवारखेड़ागांज तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर	अनुजाति- ११४०/२८ ९.२००७ उधमसिंह नगर	१२.८.१९८७	उधम सिंह नगर	बी०ए० बी०ए८०	६१.२५	रा०उ०मा०वि० चचरोटी स्थाल्दे अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लीलाधर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठा 30 / सेवाएं-3क(2) / अराजो / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जाच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/ प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/ असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/ वक्ले प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संसोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु नियमानुसार कर ली जाय-)
(1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(2)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1)- एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्डिग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।
(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/ यू०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/ स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/ सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

- मैं..... पद..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी श्री/ श्रीमती/ कु०..... पद.....
विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्धि/ अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/ अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/ पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/ सार्ज सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०इ०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विरामगति/ अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

- मैं..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने उपरान्त शासन/ विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/ करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/ ५५२

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वैतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वैतन-४६००) नया वैतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वैतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विनोद कुमार	कुंदन लाल	ग्राम भटखोला काफलीगौर बागेश्वर	अनुजाति- 340/200 7-08 15. 07.2008 बागेश्वर	02.03.1991	बागेश्वर	एम०ए० संस्कृत बी०ए८०	61.00	रा०उ०मा०वि० नीड़नगोला बागेश्वर

(लौलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृ०सं० / सेवाएं-३क(२) / अराज० / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संरक्षणाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जाच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स००५०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(अभ्यर्थी को स००५०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(इ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संरक्षणाध्यक्ष

पूरा नाम.....पद.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संरक्षणाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साझे की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शापथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५५३

/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवेक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नवीन कुमार	सजली लाल	ग्राम फूलधार बड़कोट नगाड़गाँव उत्तरकाशी	अनुजाति- ३९३०/२८. ८.२०१२ उत्तरकाशी	०२.०२.१९९१	उत्तरकाशी	एम०ए० हिंदी बी०ए८०	६०.५०	रा०इ०का० मवानी दवानी पिथौरागढ़

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१- संचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०४- संचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निररत कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थेभित्ति) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संसोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स००५०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (अभ्यर्थी को स००५०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यालयी सम्पादित कर ली है एवं समस्त वाचित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु... पद..... विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

१०- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निररत समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये ३क(२) / अराज० / ५५४

/ २०२३-२४ दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/२०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-हिंदी-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सुन्दर राम	प्रताप राम	मंगल लेख पोस्ट चौड़ामेहता चम्पावत	अनु०जाति -दिव्यांग ६३०३३१६/ १४.६.२०२२ मु०चि०अ० चम्पावत	१४.०६.१९८७	चम्पावत	एम०ए० हिंदी बी०ए८०	५३.७५	रा०इ०का० मंच चम्पावत औपबन्धिक

(लोलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निमानिकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संरक्षाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)—अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)–अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)–अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंरोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संसोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निमानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/यू०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)– अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद विषय को दिनांक के पूर्वान्तर/अपरान्त में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्कृताध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्कृताध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाक्रान्ति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, सघ/साज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करुंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित
संस्कृताध्यक्ष
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विद्यालय

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/ सेवाये ३क(२)/ अराज०/ ५५५


/ 2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/ उ०अ०स००च०आ०/ २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/२८३/ २०२३-२४ दिनांक १०-०८-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स-४४९००-१४२४००, लेवल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा विषय—गणित—(महिला शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निर्मला अधिकारी	मोहन सिंह अधिकारी	न्यू भटकोट कालोनी आफिसर्स कालोनी के पास भटकोट पिथौरागढ़	सामान्य	25.05.1984	अल्मोड़ा	एम०एस०सी० भौतिक विज्ञान बी०एड०	47.25	रा०क०उ०मा०वि० बनकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक


 (लीलाधर व्यास)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठसंख्या / सेवाएं-३क(२) / अराजो / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानंदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मात्र न्यायालय में कोई वाद / वलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकारों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स००३००१००१०-गणित) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(१)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।

(२)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल०टी० डिल्सोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(१)—एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहरताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदृपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु० पद.....

विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यवाही ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्थित ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समरत शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त रखास्थ प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने सम्बन्धित अधिकारी ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सभे सम्बन्धियों हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विद्यालय

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५५८

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-संस्कृत-(महिला शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नीमा आर्या	शांति प्रकाश आर्या	पल्ली अजय कुमार ग्राम पोलिंग उत्तरांडा कपकोट बागेश्वर	अनु०जाति- ४९३३/२८.९.२०१६ रानीखेत अल्मोड़ा	०४.०९.१९९३	बागेश्वर	एम०५०-संस्कृत बी०एड०	५५.००	रा०क०उ०मा०व्य० होराली बागेश्वर

(लिलाघर व्यास)
१३१९२३
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

(क) अध्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा

में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख) अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग) अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अध्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अध्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अध्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ) अध्यर्थी की शैक्षिक अहता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ

शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय

(स०आ०एल०टी०-संस्कृत विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अध्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड०/शिक्षा शास्त्री की उपाधि।

या

(1) विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि।

(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड०/शिक्षा शास्त्री की उपाधि।

अथवा

(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण।

(ङ) जाति प्रमाण पत्र अध्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अध्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च) अध्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होती है।

(छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अवश्यक है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती लाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद

विद्यालय

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अध्यर्थी/अध्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कृष्ण पद विषय के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सीरील.....

10— सम्बन्धित अध्यर्थी/अध्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अध्यर्थी/अध्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) रद्द होने के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदव्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अध्यर्थी/अध्यर्थिनी के शैक्षिक जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हरताक्षर..... नाम..... पदनाम..... विद्यालय.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५५७

/2023-24 दिनांक १३ सितम्बर, २०२३

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेवल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थीनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने/सम्बन्धित की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति रवतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(महिला शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीनाक्षी आर्या	खीम राम आर्या	ग्राम प्रेमपुर लोश्जानी प्राइमरी स्कूल के पास आनन्दपुर हल्द्वानी नैनीताल	अनु०जाति ७५०/२००८ २४.०९.२००८ द्वाराहाट अल्मोड़ा	२८.२.१९९०	अल्मोड़ा	एम०ए० योगा बी०पी०ए८०	५२.५०	रा०क०इ०का० पुरड़ा बागेश्वर औपबन्धिक

(लैलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठां/सेवाएं-3क(2)/अराजो/ ४२८९-९९
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 - 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 - 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
 - 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 - 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 - 09- सम्बन्धित संरथाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी रान्द्रेह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्रविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
- (1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
 - (2)- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संरथान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)
 - (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
 - (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
 - (छ)- निश्चक्षता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लैटरी डाक से अधोहस्ताकरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0..... पद
विषय को दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ सलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकिल्स अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदव्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
प्रतिहरताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें ३क(2)/अराज0/ 556

/2023-24 दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिनां तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ030से0च0आ0/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/परीक्षा/283/2023-24 दिनांक 10-08-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ-10 में अकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थिनी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्य नियमावली से इतर पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा विषय-हिंदी-(महिला शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पुष्पा टम्टा	दीवान राम	नया संग्रामी (चौखुरी) पोस्ट व तहसल जैती जिला अल्मोड़ा	अनु0जाति -31/20 07-08 14.5. 2007 जैती अल्मोड़ा	23.4.1982	अल्मोड़ा	एम0ए0 राजनीतिशास्त्र बी0एड0	37.50	रा0क0इ0का0 सारकोट अल्मोड़ा औपबन्धिक

(लीलाधर व्यास)

 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। कियित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद / कलेज प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकारों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०३०एल०टी०-हिंदी विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(2)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

(1)- एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रामाण पत्र

मैं पद विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दरसावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु. पद

विषय को दिनांक के पूर्वान्तर / अपरान्त में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.

पद एवं सील.

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ सलग्न समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, रथाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने रथान्तरण नीति का पालन करूँगा / करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने रथान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा / करूँगी।

प्रतिहस्ताक्षरित नाम पदनाम विद्यालय

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

हस्ताक्षर नाम पदनाम विद्यालय